राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक प. 1(137)एमई / ग्रुप–1 / 2017 जयपुर, दिनांक - 9 MAY 2019

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(72)एम.ई / ग्रुप–1 / 83 पार्ट दिनांक 14.07.2014 के द्वारा डॉ0 गौरव सिंघल, (मेरिट क्रमांक 10 / सामान्य., जन्म तिथि 01.04.1983) की नियुक्ति अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिवीक्षा काल पर सहायक आचार्य, मेडिसिन, के पद पर मेडिकल कॉलेज, कोटा में की गई थी। डॉ0 सिंघल मेडिकल कॉलेज जयपुर में डी.एम. (कार्डियोलोजी) में अध्ययनरत थे व इनके द्वारा नवनियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण नही किया गया। इस विभाग के परिपत्र दिनांक 11.08.2014 के अध्ययधीन विभागीय के आदेश क्रमांक प. 1(137)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2014 दिनांक 24.09.2014 द्वारा इनका पदस्थापन स्थान परिवर्तन कर मेडिकल कॉलेज कोटा से मेडिकल कॉलेज जयपुर किया गया।

डॉ0 सिंघल ने डीएम (कार्डियोलोजी) अध्ययन पूर्ण होने पर दिनांक 23.08.2016 को मेडिकल कॉलेज जयपुर में सहायक आचार्य मेडिसिन के पद पर उपस्थिति दी। डॉ0 सिंघल कार्यग्रहण करने के पश्चात दिनांक 03.10.2016 से अब तक निरन्तर बिना किसी पूर्व सूचना के स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहे है। स्वेच्छा से लगातार अनुपस्थित रहने पर प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक मेडिकल कॉलेज जयपुर के पत्र क्रमांक 424–25 / एफ / एमसी / ईजी / 2016 दिनांक 06.01.2017, पत्र क्रमांक 3170–71 / एफ / एमसी / ईजी / 2017 दिनांक 03.2.2017, पत्र क्रमांक 9268–71 / एफ / एमसी / ईजी / 2017 दिनांक 01.04.2017, पत्र क्रमांक 14652–55 / एफ / एमसी / ईजी / 2017 दिनांक 29.05.2017 पत्र क्रमांक 22486–87 / एफ / एमसी / ईजी / 2017 दिनांक 09.08.2017 एवं पत्र क्रमांक 26182–83 / एफ / एमसी / ईजी / 2017 दिनांक 14.9.2018 द्वारा अपने कार्य पर उपस्थित होने बाबत निर्देशित किया गया। लेकिन डॉ0 सिंघल आदिनांक तक कार्यस्थल पर उपस्थित नही हुए। डॉ0 सिंघल परिवीक्षा काल में अनुपस्थित रहे है।

अतः डॉ0 गौरव सिंघल, सहायक आचार्य, मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज जयपुर के परिवीक्षा काल में बिना अनुमति के दिनांक 03.10.2016 से स्वैच्छा से अपने पदस्थापित स्थान से लगातार अनुपस्थित रहने के फलस्वरूप परिवीक्षा काल में इनकी सेवाएं असन्तोष जनक मानते हुए राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 27 के उप नियम (1) के प्रावधान के अनुसार डॉ0 गौरव सिंघल की सहायक आचार्य, मेडिसिन पद की सेवा एतद्द्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जाती है।

आज्ञा से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री महोदय राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को इस विभाग के आदेश क्रमांक प. प. 1(72)एम.ई / ग्रुप–1 / 83 पार्ट दिनांक 14.07.2014 के संदर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर को उनके पत्रांक 33627 / एफ / एमसी / ईजी / 2018 दिनांक 27.11.2018 के संदर्भ में।
5. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. डॉ0 गौरव सिंघल C/o सिंघल ट्रेडर्स, मण्डी, अटल बांध, गणेश मन्दिर रोड़, भरतपुर (राज.) (**रजिस्टर्ड डाक से**)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

(जी.आर. रावल)
शासन सहायक सचिव